न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
164 / 2023	15.05.2023	30.01.2024

उनवान

1. रामपाल दत्तक पुत्र श्री मोहनलाल महाजन (रिंगवी) उम्र वयस्क निवासी आरजिया, हाल निवासी सुंदर कॉलोनी, भीलवाड़ा रोड़, कांकरोली जिला राजसमंद।

प्रार्थी

बनाम

1. अरविन्द पुत्र श्री जसवंत बोहरा उम्र वयस्क निवासी आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
2. देबीलाल पुत्र श्री गुलाब गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
1. पोखर पुत्र श्री देवा गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

. उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सोनी पत्नी श्री सुरजमल गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बंशीलाल पुत्र श्री चन्दनमल महाजन उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

भंवरलाल दत्तक पुत्र श्री बालुलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा मजरा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उदा पुत्र श्री खुमा जाट उम्र वयस्क निवासी बासो का खेड़ा, आरजिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

ोपाललाल पुत्र श्री गंगाराम जाट उम्र वयस्क, निवासी बासो का खेड़ा आरजिया, तह0 एवं जेला भीलवाड़ा

ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

स्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी गोपाल अजमेरा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: **निर्णय** :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 690 की अभिलिखित आराजियात 770, 778, 779, 781 कुल किता 04 कुल रकबा 0.8725 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 690 की अभिलिखित आराजियात 770, 778, 779, 781 कुल किता 04 कुल रकबा 0.8725 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में दाखिल करवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा